पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015—17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1938 शक सम्वत्) [संख्या—25

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग—अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग—अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	323—335	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	527—534	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	11—14	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	163—174	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

30 मई, 2016 ई0

संख्या 384/XVII–3/2016–04(06)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (समय–समय पर यथासंशोधित), की धारा–4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में विद्यमान आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन को राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किए जाने के उद्देश्य से पदेन 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' एवं अपने–अपने जनपदों की अधिकारिता के साथ समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड को पदेन 'अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल एवं प्रदेश के शेष जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पदेन 'सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारी 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित करेंगे।

3. श्री राज्यपाल महोदय, अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा उपधारा (3) से (5) के अधीन यथाप्रक्रिया राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्ण कर सर्वेक्षण आख्या एक माह से अनधिक अवधि में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

आज्ञा से,
शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

10 मई, 2016 ई0

संख्या 477/XXXI(4)16–06(विविध)2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री अजय शर्मा, निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री अजय शर्मा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,
डॉ0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

अधिसूचना

18 मई, 2016 ई0

संख्या 853/X–1–2016–14(18)/2016–कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश सं0 25013/02/2005–AIS.II, दिनांक 28 जून, 2012 के क्रम में All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 के नियम–16(3) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के अधिकारियों के सेवा अभिलेखों की समीक्षा हेतु निम्नानुसार "समीक्षा समिति" गठित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष,

(2) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – सदस्य,

(3) एक प्रमुख वन संरक्षक स्तर का अधिकारी, जो संवर्ग/संयुक्त संवर्ग से बाहर का हो तथा जिसने उक्त संवर्ग/संयुक्त संवर्ग को अपना गृह राज्य घोषित न किया हो – सदस्य,

(4) एक प्रमुख सचिव स्तर/श्रेणी का अधिकारी, जो संवर्ग/संयुक्त संवर्ग का हो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो – सदस्य,

(5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य सचिव।

2. समीक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व और उनके निष्पादन हेतु विहित प्रक्रिया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28 जून, 2012 एवं All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 के अनुसार होंगे।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना/प्रोन्नति

18 मई, 2016 ई0

संख्या 482/बीस–4/2016–1(49)/2011–वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 13–04–2016 के क्रम में श्री मनोज कुमार आर्य, कारागार अधीक्षक, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 5,400) को वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के पद पर दिनांक 04–06–2015 से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री मनोज कुमार आर्य को वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार के पद का दिनांक 04–06–2015 से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक का कोई अवशेष वेतन अनुमन्य नहीं होगा।

3. उक्त अधिसूचना/प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 386/(एस/बी)/2015, श्री महेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 175/(एस/बी)/2016, महेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त कार्मिक द्वारा पदोन्नति पद का कार्यभार अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही ग्रहण किया जायेगा एवं नवीन तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अधिसूचना/प्रोन्नति

18 मई, 2016 ई0

संख्या 483/बीस–4/2016–1(49)/2011–वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 13–04–2016 के क्रम में श्री ब्रहम प्रकाश पाण्डेय, कारागार अधीक्षक, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 5,400) को वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री ब्रहम प्रकाश पाण्डेय को वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

3. उक्त अधिसूचना/प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 386/(एस/बी)/2015, श्री महेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 175/(एस/बी)/2016, महेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त कार्मिक द्वारा पदोन्नति पद का कार्यभार अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही ग्रहण किया जायेगा एवं नवीन तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

विज्ञप्ति/पदावनति

30 मई, 2016 ई0

संख्या 679/VIII/16–422(ई0एस0आई0)/2002–शासनादेश संख्या 947/VIII/11–422(ई0एस0आई0) /2002, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मुख्य भेषजिक (राजपत्रित), वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,200 के 01 रिक्त पद पर श्री कृपाल टम्टा, भेषजिक की पदोन्नति की गयी थी।

उक्त पदोन्नति के विरूद्ध श्री योगेन्द्र प्रसाद डोबरियाल, भेषजिक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1559/2011 दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा उक्त याचिका में दिनांक 14.10.2015 में उपरोक्त पदोन्नति को निरस्त करते हुए नये सिरे से पदोन्नति हेतु कार्यवाही किये जाने का निर्णय प्राप्त हुआ है। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 14.10.2015 के क्रम में शासनादेश संख्या 947/VIII/11–422(ई0एस0आई0)/2002, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा श्री कृपाल टम्टा की मुख्य भेषजिक पद पर की गयी पदोन्नति को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए उन्हें भेषजिक के पद पर तत्काल प्रभाव से पदावनत किया जाता है।

मा0 एकलपीठ के आदेश दिनांक 14.10.2015 के क्रम में श्री कृपाल टम्टा की पदावनति के फलस्वरूप उनके मुख्य भेषजिक पद के कार्यकाल में उन्हें प्राप्त वेतन भत्तों की कोई वसूली नहीं की जायेगी।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति/तैनाती

01 जून, 2016 ई0

संख्या 684/VIII/16–422(ई0एस0आई0)/2002–मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के एकल पीठ के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या1559/12 (एस/एस), योगेन्द्र कुमार डोबरियाल बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय

के निर्णय दिनांक 14.10.2015 के क्रम में 01 रिक्त पद के सापेक्ष विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री योगेन्द्र कुमार डोबरियाल भेषजिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड को मुख्य भेषजिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा में रखा जाता है।

3. यह पदोन्नति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की डबल बैंच में दायर सिविल मिस रिट अपील 621/15, श्री कृपाल टम्टा बनाम राज्य में पारित होने वाले मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।

4. श्री योगेन्द्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, लालकुआं (नैनीताल) में रिक्त मुख्य भेषजिक के पद पर तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

कार्यालय ज्ञाप

20 मई, 2016 ई0

संख्या 175/2016/XXXIV–67/2014--राज्य के विभिन्न विभागों में आई0सी0टी0 उपकरणों की निष्प्रयोज्यता एवं उसके निदान की व्यवस्था बनाये जाने के उद्देश्य से मा0 श्री राज्यपाल महोदय, राज्य में आई0सी0टी0 उपकरणों के निष्प्रयोज्यता एवं उनके निदान की नीति, जिसकी प्रति उल्लिखित है, को दिनांक 15 मार्च, 2016 से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए नीति, 2016 :

नीति के उद्देश्य–

उत्तराखण्ड के समस्त सरकारी कार्यालयों में यह अनुभव किया जा रहा है कि अनुपयोगी रचनात्मक घटकों के निस्तारण के लिए तथा प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी के पुनरूत्थान हेतु समेकित नीति की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड सरकार के पणधारियों के लिए सूचना और अनुपयोगी संचार तकनीकी घटकों के निस्तारण के लिए समेकित, आर्थिकी और उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करना इस नीति का उद्देश्य है।

2. सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए दिशा–निर्देश :

सूचना और संचार तकनीकी घटक–

सूचना और संचार तकनीकी घटक में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होनी चाहिए:–

- पर्सनल कम्प्यूटर,
- सर्वर,
- लैपटाप/टेबलेट,
- डम्ब टर्मिनल,
- प्रिन्टर कार्टेज सहित,
- स्कैनर,
- यूपीएस,
- डाटा संचार उपकरण,
- दूरसंचार उपकरण/मोबाइल हैण्डसेट,
- पैकेज सॉफ्टवेयर,
- फोटोकॉपियर

- इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक टाईपराइटर,
- फैसिमाइल,
- टेलेक्स,
- दूरभाष,
- डिसप्ले सिस्टम,
- पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क (एक्सटर्नल और इंटरनल), सीडी, डीवीडी, टेप ड्राइव्स इत्यादि सहित स्टोरेज डिवाइस,
- इलेक्ट्रॉनिक पेन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर/राइटिंग पैड,
- उपर्युक्त किन्ही घटकों के प्रयुक्त और परिधीय सामग्री।

लागू होना–

- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त सरकारी विभाग,
- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त निगमित निकाय/स्थानीय निकाय,
- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त सार्वजनिक उपक्रम/सोसाइटी/निदेशालय/आयुक्तों के कार्यालय।

अनुपयोगिता के लिए आधार–

सूचना और संचार तकनीकी घटकों को निम्नलिखित आधार पर अनुपयोगी किया जा सकता है:–

❖ तकनीकी रूप से अप्रचलित–

➢ पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण करने और कार्य करने की स्थिति में न होना।

➢ पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण करने और तकनीकी रूप से सक्षम न होने, जिसके फलस्वरूप क्षमता प्रभावित हो रही हो और अपेक्षा के अनुसार परिणाम न आना।

➢ पैकेज सॉफ्टवेयर केवल यह घोषित करते हुए अनुपयोगी किया जा सकता है कि यह तकनीक अप्रचलित है, जिसे ओईएम से अद्यतन या उपयुक्त नहीं किया जा सकता है।

❖ मरम्मत आर्थिक रूप से उचित नहीं है–

सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों को, जब इन घटकों को पुनरूत्थानित या आर्थिक रूप से सुरक्षित/व्यापक रूप से मरम्मत और पुनः एसेम्बल/एसेसरीज को नहीं बदला जा सकता है तथा उसके समकक्ष किसी मशीन का मूल्य पचास प्रतिशत से अधिक हो, को बीईआर से अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार इस ऐसे विक्रेता से प्राप्त किया जा सकता है, जो वार्षिक अनुरक्षण का आश्वासन दे। इसे पैकेज साफ्टवेयर के लिए भी विधिमान्य किया जा सकता है।

❖ गैर–मरम्मत योग्य–

सूचना एवं संचार तकनीकी को उपस्करों की गैर उपलब्धता के कारण अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।

❖ भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त–

ऐसे सूचना और संचार तकनीकी उपकरण जो कि आग या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो गये हैं या किसी अन्य कारण से मानव नियंत्रण से बाहर हो गये हैं और मरम्मत योग्य नहीं हैं तो उन्हें भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त मानते हुए अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।

अनुपयोगिता के प्रकार–

अनुपयोगिता या तो उसे विक्रय कर या उसके निस्तारण, जैसा कि स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा निर्णित है, से किया जा सकता है।

- विक्रय द्वारा–

स्थायी अनुपयोगिता समिति विक्रय द्वारा अनुपयोगिता का निर्णय ले सकती है। स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा विक्रय मूल्य वापसी के आधार पर जिसमें विद्यमान संविदा के किसी भाग के दरों को उसी दर संविदा पर पूर्व में और विक्रेता के परामर्श से आंकलित कर निर्णय लिया जा सकता है।

- निस्तारण द्वारा–

यदि स्थायी अनुपयोगिता समिति अनुपयोगी घोषित किये जाने के लिए निस्तारण का विकल्प चुनती है तो संबंधित विभाग इसके माध्यम से उसका निस्तारण कर सकते हैं। निविदा, नीलामी या कूड़े के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 में अधिकृत प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। यह प्रक्रिया पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के अधीन ई–वेस्ट प्रबन्धन और व्यवहरण के अनुसार होनी चाहिए। सूचना और संचार तकनीकी घटकों का निस्तारण सरकार द्वारा अनुमोदित ई–वेस्ट री–साइकिलर/डिसमेंटियर होने चाहिए।

यदि विभाग विज्ञापित निविदा और नीलामी के माध्यम से प्रयास करने पर अनुपयोगी सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों का विक्रय करने में समर्थ नहीं होती है तो वित्त विभाग के परामर्श से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर कूड़े के मूल्य पर उसका निस्तारण कर सकते हैं। यदि विभाग कूड़े के मूल्य पर भी सूचना और संचार तकनीकी के अनुपयोगी घटकों का निस्तारण नहीं कर सकती है तो वह उसका निस्तारण किसी अन्य रीति से जिसमें इकोफ्रेण्डली रीति से घटकों का निस्तारण, जिससे स्वास्थ्य की क्षति न हो या पर्यावरणीय प्रदूषण न हो और ऐसे घटकों से कोई दुरूपयोग की सम्भावना न हो, द्वारा निस्तारण कर सकते हैं।

अवशिष्ट मूल्य आंकलन–

जैसा कि घटकों की अवधि पाँच वर्ष अवधारित की गयी है, अनुपयोगी घोषित करते समय अवशिष्ट मूल्य आंकलन पर वार्षिक घटोतरी दर के बीस प्रतिशत पर (घटते मूल्य ह्रास) पर इसका विचार किया जाना चाहिए।

विभाग के उत्तरदायित्व–

- सक्षम प्राधिकारी विभागीय स्तर पर सूचना और संचार तकनीकी घटकों को अनुपयोगी घोषित किये जाने के लिए एक अनुपयोगिता समिति का गठन करना चाहिए।
- अनुपयोगिता समिति सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोगी होने की सूचना, जिसमें संबंधित उपस्कर की सन्निर्माण तिथि, मॉडल, क्रम संख्या, भण्डार पंजिका संख्या, क्रय तारीख, क्रय मूल्य, अनुपयोगी घोषित किये जाने के कारण और अतिरिक्त सूचनाएं यदि कोई हों, सहित ऐसे घटकों का पूर्ण विवरण तैयार करेगा।
- विभागीय अनुपयोगिता समिति द्वारा इस प्रकार तैयार की गयी अनुपयोगिता रिपोर्ट, स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा पुनर्विलोकित और अनुमोदित की जायेगी। अनुपयोगिता केवल स्थायी अनुपयोगिता समिति के अनुमोदन के पश्चात् की जायेगी।
- विभाग आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित बैकअप प्राप्त करने के पश्चात् अनुपयोगी सूचना और संचार तकनीकी से सभी सेवाएं और समस्त कल्पना स्तर आँकड़े/संचालन रीति आदि सहित हटा लिये गये हैं।
- जब कभी कोई उपकरण अनुपयोगी घोषित कर दिया गया हो तो उसे कार्यालय प्रयोग से हटा दिया जाना चाहिए और बेकार उपकरण के लिए निर्धारित स्थान पर रख दिया जाना चाहिए।

स्थायी अनुपयोगिता समिति के उत्तरदायित्व–

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एनआईसी और संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों से संरचित स्थायी अनुपयोगिता समिति का गठन करेगा।
- स्थायी अनुपयोगिता समिति संबंधित विभाग की अनुपयोगी समिति द्वारा तैयार अनुपयोगिता रिपोर्ट का पुनर्विलोकन और अनुमोदन करेगी।
- स्थायी अनुपयोगिता समिति मूल्य वापसी या निस्तारण की अनुपयोगिता की रीति के संबंध में निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी भी होगी।

आज्ञा से,

दीपक कुमार,
सचिव।

OFFICE MEMORANDUM

May 20, 2016

No. 175/XXXIV/2016-67/2014--**The Condemnation and Disposal of ICT Components Policy, 2016 :**

Objective of the Policy--

With resurgent growth of the ICT infrastructure in every government office, need of comprehensive policy for disposal of unusable infrastructure components is felt across Uttarakhand government offices.

The objective of this policy is to design a comprehensive, economical and efficient process for the disposal of condemned ICT components for stakeholders of Government of Uttarakhand.

II. Guidelines for Condemnation & disposal of ICT Components :

ICT Components--

ICT components should include the following items :

- PCs,
- Servers,
- Laptops/tablet,
- Dumb Terminals,
- Printers including cartridges,
- Scanners,
- UPSs,
- Data Communication Equipment,
- Tele Communication Equipment/mobile handset,
- Package Software,
- Copying equipment,
- Electrical and electronic typewriters,
- Facsimile,
- Telex,
- Telephones,
- Display Systems,
- Storage devices including pen drive, hard disk (external and internal), CDs, DVDs, tape drives etc,
- Electronic pen and electronic signature/writing pads,
- Consumables and peripherals of any above component.

Applicable to--

- All Government Departments under Government of Uttarakhand.
- All Autonomous Bodies/Local Bodies under Government of Uttarakhand.
- All PSUs/Societies/Directorates/Commissionaries under Government of Uttarakhand.

Grounds for Condemnation--

- The ICT components can be condemned on the following grounds:-

❖ **Technically Obsolete :**

- Completed 5 years life-span and not in working condition.
- Completed 5 years life-span and technology outdated affecting performance and output that is expected out of it.
- Package Software can only be condemned by declaring it as technically obsolete when no more updates or support are available from OEM.

❖ **Beyond Economical Repairs :**

ICT components can.be declared BER when these components cannot be upgraded or maintained economically/warrant extensive repairs and replacement of sub-assemblies/ accessories and the combined cost of which exceeds certain percentage (50%) of the current cost of an equivalent system. The same can be ascertained from the vendor who is giving AMC support. This holds valid for package software too.

❖ **Non-repairable :**

ICT components can be condemned due to non-availability of spare parts.

❖ **Physically damaged :**

ICT components that have been damaged beyond repair due to fire or any other reason beyond human control can be condemned as Physically Damaged.

Mode of Condemnation--

The mode of condemnation may be either Buyback or Disposal, as decided by Standing Condemnation Committee (SCC) :

- **Buyback :**

  SCC may decide to choose Buyback mode of Condemnation. The Buyback rates will be decide by SCC based on Buyback rates already part of existing contracts else their assessment after comparing similar Rate Contract in the past and in consultation with the vendor.

- **Disposal :**

  If SCC decides to choose disposal mode of Condemnation, the concerned Department can dispose it through, Tender, Auction or Scrap as per the procedure laid down in Financial Handbook Volume-V, Part-1. This process should adhere e-waste (Management and Handling) Rules issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India. ICT components will be disposed-off to government approved e-waste recyclers/dismantlers.

  If the Department is unable to sell condemned ICT component in spite of its attempts through auction and advertised tender, it may dispose-off the same at its scrap value with the approval of the competent authority in consultation with Finance division.

  In case the Department is unable to sell condemned ICT components even at its scrap value, it may adopt any other mode of disposal including destruction of the component in an eco-friendly manner so as to avoid any health hazard and for environmental pollution and also the possibility of misuse of any such component.

Residual Value Calculation--

As the life span of components is considered as 5 years, annual depreciation rate of 20% (written down value) will be considered to calculate residual value at the time of condemnation.

Responsibilities of Department--

- The competent authority should constitute a Condemnation Committee at departmental level to declare ICT components as ready for condemnation.
- Condemnation Committee will prepare ICT components condemnation report which should be individually numbered having component description including Make, Model, Serial Number, Asset Register Number, Purchase Date, Purchase Price, Reason for Condemnation and additional information, if any
- The Condemnation report so prepared by departmental condemnation committee will be reviewed and approved by SCC. The Condemnation will be done only after approval of SCC.
- The department must ensure that all service and inventory lables including Data, Operating System must be removed from condemned ICT component after taking proper backup.
- Once the equipment has been condemned it should be removed from office use and keeps it in the area allocated for scrapped equipment.

Responsibilities of SCC--

- Department of IT will constitute as SCC comprising of representatives from Do IT, NIC and the concerned Department.
- The SCC will review and approve the condemnation report prepared by Condemnation Committee of concerned Department.
- The SCC will also be responsible to decide on the mode of condemnation whether Buy-back or Disposal.

By Order,
DEEPAK KUMAR,
Secretary.

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

24 मई, 2016 ई0

संख्या 618/XX(1)–2016–3(11)2004–प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी, श्री सुखवीर सिंह, बैच–1992 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–1 (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600) के पद से अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी (वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700) के सृजित एक निःसंवर्गीय पद पर, उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री दलीप सिंह कुंवर को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि अर्थात 30 नवम्बर, 2012 से अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से प्राकल्पिक/नोशनल आधार पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री सुखवीर सिंह को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होंगे।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

सूचना अनुभाग

अधिसूचना / प्रकीर्ण

25 मई, 2016 ई0

संख्या 272/XXII(1)/2016–1(11)2015–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 व उक्त नियमावली के प्रथम संशोधन दिनांक 09 फरवरी, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात्–

नियम–6 का संशोधन–मूल नियमावली में नियम–6, जो स्तम्भ–1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
बिन्दु संख्या 06 सूचीबद्धता के लिए मापदण्डः– (6)(2)(छः) चैनल को उनकी आवेदित श्रेणी के अनुसार केबल ऑपरेटरों के प्रसारण अनुबंध की नोटरी प्रमाणित प्रति/DTH से अनुबंध प्रति उपलब्ध करानी होगी।	बिन्दु संख्या 06 सूचीबद्धता के लिए मापदण्डः– (छः) चैनल को उनकी आवेदित श्रेणी के अनुसार केबल ऑपरेटरों/DTH के द्वारा प्रसारण की सत्यता के संदर्भ में अधिकृत आवेदनकर्ता/चैनल स्वामी द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

नियम–7 का संशोधन–मूल नियमावली के प्रथम संशोधन के नियम–7, जो स्तम्भ–1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
बिन्दु संख्या 07 दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करनाः– (7)(एक) किसी श्रेणी के सूचीबद्ध चैनल के लिए उक्त दरें प्राइम टाइम बैण्ड के लिए हैं। यदि किसी कैटेगरी में सूचीबद्ध चैनल प्राइम टाइम बैण्ड के अलावा अन्य टाइम बैण्ड में प्रसारण करता है तो उसे उसकी सूचीबद्धता श्रेणी की दर से नीचे की श्रेणी की दरों पर भुगतान किया जायेगा।	विलोपित
7(दो) इस संशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्ध चैनलों को तीन माह तक पुरानी दरों पर सूचीबद्ध माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्ध चैनल, जो नई दरें प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नई सूचीबद्धता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानकों को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्धता निरस्त हो जायेगी।	(दो) पुनः इस संशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्ध चैनलों को आगामी 30 सितम्बर, 2016 तक पुरानी दरों पर सूचीबद्ध माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्ध चैनल जो नई दरें प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नई सूचीबद्धता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानकों को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्धता निरस्त हो जायेगी।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,

सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

26 मई, 2016 ई0

संख्या 856/II–2016–01(29)(18)–2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 300/30/ई–1/डी0पी0सी0/2015–16, दिनांक 10.12.2015 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100 एवं सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

डिप्लोमाधारी संवर्ग :

क्र0 सं0	नाम	सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का विवरण	अभ्युक्ति
1.	मृत्युजय कुमार	श्री जितेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31.05.2016 को से0नि0 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष	श्री गोयल, शासन की विज्ञप्ति प्रोन्नति आदेश संख्या 713/दिनांक 28.04.2016 द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत
2.	ज्ञानेश चन्द्र	श्री सुनील चन्द्र पन्त, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31.05.2016 को से0नि0 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष	श्री पन्त, शासन की विज्ञप्ति प्रोन्नति आदेश संख्या 713/दिनांक 28.04.2016 द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत
3.	हरीश चन्द्र जोशी	श्री पी0 के0 मालवीय, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31.05.2016 को से0नि0 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष	–
4.	जगदीश चन्द्र	श्री दौलत सिंह पंवार, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31.05.2016 को से0नि0 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष	–

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

4. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012, अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

27 मई, 2016 ई0

संख्या 512/XVII–3/2016–04/(08)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, वक्फ अधिनियम, 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 65 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वक्फ संख्या–436, वक्फ मस्जिद, मुहम्मडन कम्यूनिटी, स्थित लण्ढौर कैन्ट, मसूरी, देहरादून, जिसके मुतवल्ली का स्थान वर्तमान में रिक्त है, की नियमानुसार देख–रेख हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट, मसूरी को अपने कार्यों एवं दायित्वों के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट, मसूरी को इस अतिरिक्त कार्य के लिए पृथक से कोई वेतन/भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उक्त अधिनियम की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को यह भी निर्देशित करते हैं कि वे उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के विधिवत् गठन तक जिला देहरादून के अन्तर्गत ऐसी समस्त वक्फ सम्पत्तियों हेतु, जहाँ मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति का पद रिक्त हो जाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की संस्तुति प्राप्त कर सम्बन्धित वक्फ क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासक नामित करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/280–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2016 ई० (ज्येष्ठ 28, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 13, 2016

No. 128/UHC/Admin.(A)/2016--Following Section Officers are promoted to the post of Assistant Registrar in the pay scale of pay in pay band ₹ 15,600-39,100 with grade pay ₹ 6,600, in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital with effect from the date of their taking over charge.

1. Sri N. C. Kimari,
2. Sri Vinay Kumar Srivastava.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
KANTA PRASAD,
Registrar General.

NOTIFICATION

May 13, 2016

No. 129/XIV-a/57/Admin.A/2012--Ms. Arti Saroha, Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 33 days *w.e.f.* 29.03.2016 to 30.04.2016 wtih permission to suffix 01.05.2016 as Sunday holiday

NOTIFICATION

May 18, 2016

No. 131/XIV-a/26/Admin.A/2011--Ms. Akata Mishra, Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 22 days *w.e.f.* 16.04.2016 to 07.05.2016 with permission to prefix 14.04.2016 & 15.04.2016 as Govt. holidays and to suffix 08.05.2016 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(On taking over)

May 13, 2016

No. 2355--This is to certify that the office of the Assistant Registrar in the Establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital, is taken over under the order of the High Court *vide* Notification No. 128/UHC/Admin.(A)/2016, dated May 13, 2016, as herein denoted in the forenoon of May 13, 2016.

VINAY KUMAR SRIVASTAVA,
Relieving Officer.

Counter signed
Sd/- (Illegible)
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(On taking over)

May 13, 2016

No. 2356--This is to certify that the office of the Assistant Registrar in the Establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital, is taken over under the order of the High Court *vide* Notification No. 128/UHC/Admin.(A)/2016, dated May 13, 2016, as herein denoted in the forenoon of May 13, 2016.

NAVEEN CHANDRA KIMARI,
Relieving Officer.

Counter signed
Sd/- (Illegible)
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

District Legal Services Authority, Uttarkashi

CHARGE CERTIFICATE

May 16, 2016

No. 150--CERTIFIED that in compliance of the Notification No. 1945/XIII-c-1/Admin.A./2016, dated April 28, 2016 and in compliance of recommendation Notification No. 494/III-A-13/SLSA/2016, dated April 29, 2016 of Uttarakhand State Legal Service Authority, High Court Campus, Nainital, the charge of the office of the Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi, has been taken over, as denoted herein, in the forenoon of 09.05.2016.

HEMANT SINGH,
Secretary,
District Legal Services Authority,
Uttarkashi.

Counter signed
Sd/- (Illegible)
District Judge,
Uttarkashi.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी

आदेश

10 मई, 2016 ई0

पत्रांक 227/लाइसेन्स निलम्बन/प्रशासन/2016–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तरकाशी द्वारा वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग आदि अभियोगों में संलिप्त निम्नवत् चालकों के लाइसेंसों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, आनन्द कुमार जायसवाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 माह की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा :–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम	चालान में लगाये गये अभियोग	लाइसेन्स के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1.	श्री गिरीश चमोली पुत्र श्री ओम प्रकाश चमोली, ग्राम–अस्तल हिटाणू, उत्तरकाशी	UK-1020090003930, FOR—LMV(NT), LMV-GV (TR) LMV CAB (TR) Onty, Validity—23.06.2018	ARTO(E) UTTARKASHI	1. वाहन में कुल 09 सवारी के सापेक्ष 13 सवारी बैठी पाई गई (04 सवारी ओवरलोड) DL के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति, 2. किराया सूची वाहन में प्रदर्शित नहीं है	दिनांक 10.05.2016 से 09.08.2016 तक निलम्बित
2.	श्री भरत प्रसाद पुत्र श्री श्याम लाल, द्वियूली, धनारी, उत्तरकाशी	UK-1020080001693, FOR—LMV(NT), LMV-GV (TR) LMV CAB (TR) Onty, Validity—05.05.2017	ARTO(E) UTTARKASHI	1. वाहन में कुल 09 सवारी के सापेक्ष 12 सवारी बैठी पाई गई (03 सवारी ओवरलोड) DL के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति, 2. वाहन में लॉग बुक मेंटेन नहीं की जा रही है	दिनांक 10.05.2016 से 09.08.2016 तक निलम्बित

आदेश

12 मई, 2016 ई0

पत्रांक 228/लाइसेन्स निलम्बन/प्रशासन/2016–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तरकाशी द्वारा वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग आदि अभियोगों में संलिप्त निम्नवत् चालकों के लाइसेंसों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, आनन्द कुमार जायसवाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 माह की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम	चालान में लगाये गये अभियोग	लाइसेन्स के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1.	श्री राजेश मटूडा पुत्र श्री बैशाख सिंह, ग्राम—चिलमुड़गांव, भटवाडी, धनारी, उत्तरकाशी	UK-1020120004335, FOR—LMV(NT), TRANS (TR) PSVBUS (TR) Only, Validity—11.05.2018	ARTO(E) UTTARAKASHI	1. वाहन में कुल 09 सवारी के सापेक्ष 12 सवारी बैठी पाई गई (03 सवारी ओवरलोड) DL के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति,	दिनांक 12.05.2016 से 11.08.2016 तक निलम्बित

आनन्द कुमार जायसवाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

19 मई, 2016 ई0

पत्रांक 938/टी0आर0/पंजी0नि0/UP14K-2035/2016—वाहन संख्या UP14K-2035, मॉडल 1995, चेसिस संख्या 14EC50835277 तथा इंजन नं0 4D31A52827836 कार्यालय में श्री ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री गोदराज अग्रवाल, निवासी टनकपुर रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.05.2016 को आवेदन—पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन काफी पुराना होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का कर 30.09.2016 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP14K-2035 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14EC50835277 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), नई टिहरी

आदेश

16 मई, 2016 ई0

पत्रांक 134/लाइसेन्स निलम्बन/2016—विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन का संचालन आदि अभियोगों में संलिप्त निम्नवत् चालकों के लाइसेंसों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, ज्योति शंकर मिश्र, प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र0), नई टिहरी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त लाइसेंसों को निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा:—

क्र0 सं0	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस संख्या/ श्रेणी एवं वैधता	प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम	चालान में लगाये गये अभियोग	लाइसेंस के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुतन सिंह पुत्र श्री औतार सिंह, ग्राम–लामकोट, टिहरी गढ़वाल	UK–0920050005195, हल्का मोटरयान, हल्का परिवहन यान, वैधता–14–06–2018	पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	1. बीच सड़क में वाहन रोक कर मार्ग अवरूद्ध कर नशे की हालत में वाहन का संचालन करना	16.05.2016 से 14.11.2016 तक निलम्बित (06 माह)
2.	श्री गणेश दत्त बहुगुणा पुत्र श्री नरेन्द्र दत्त बहुगुणा, ग्राम–खेमरा, पो0–पांगरखाल, टिहरी गढ़वाल	UK–0919970011731, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान, वैधता–28.06.2019	एआरटीओ (प्र0), टिहरी	शराब पीकर वाहन का संचालन	16.05.2016 से 14.08.2016 तक निलम्बित (03 माह)
3.	श्री प्रकाश चन्द्र रमोला पुत्र श्री अमिर चन्द्र रमोला, ग्राम–सौड़ पट्टी–बमुण्ड, टि0ग0	UK–0919970006473, मोटर साईकिल, हल्का मोटरयान, हल्का परिवहन यान, भारी माल वाहन, वैधता–16.10.2018	एआरटीओ (प्र0), टिहरी	1. वाहन में कुल 18 सवारी बैठी पायी गयी, 2. चालक कक्ष में 04 सवारी तथा वाहन की छत पर 04 सवारी बैठी पायी गयी	16.05.2016 से 14.08.2016 तक निलम्बित (03 माह)
4.	श्री अनिल भट्ट पुत्र श्री शुन्दर लाल भट्ट, ग्राम–झकोगी कनस्याड, टिहरी गढ़वाल	UK–0920140012219, मोटर साईकिल, हल्का मोटरयान, हल्का परिवहन एवं भार यान, वैधता–28.06.2019	एआरटीओ (प्र0), टिहरी	1. कुल 15 सवारी यात्रा करते पाये गये, 2 चालक कक्ष में 04 सवारी बैठी पायी गयी	16.05.2016 से 14.08.2016 तक निलम्बित (03 माह)

ज्योति शंकर मिश्र,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र0),
नई टिहरी।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

01 जून, 2016 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्या0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रुड़की
काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा सम्भाग।

पत्रांक 1117/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 480/2016/19(120)XXVII(8)/2012, दिनांक 01 जून, 2016 में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0–27, वर्ष 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सहपठित उत्तर प्रदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0–1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिये दायी व्यौहारी अथवा स्रोत पर कटौती करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित 31 मार्च को समाप्त होने वाले चतुर्थ त्रैमास की सावधिक विवरणी 30 जून, 2016 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है, किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0डी0एस0 नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

01 जून, 2016 ई0

संख्या 480/2016/19(120)/XXVII(8)/2012–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी व्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015–16 से संबंधित 31 मार्च को समाप्त होने वाले चतुर्थ त्रैमास की सावधिक विवरणी, 30 जून, 2016 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है, किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0 डी0 एस0 का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 480/2016/19(120)/XXVII(8)/2012,** dated June 01, 2016 for general information :

NOTIFICATION

June 01, 2016

No. 480/2016/19(120)/XXVII(8)/2012--WHERE, as the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule, 2005, the Governor is pleased to declare that the fourth periodical return for the quarter ending March, 31 related to the assessment year 2015-16 may be filed by a dealer liable to tax or a person responsible for deduction tax at source upto June 30, 2016 without any late fee, provided that the payment of tax/composition money or TDS shall be made within the time as prescribed in rule 11.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान),
वाणिज्य कर, मुख्यालय,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण/परियोजना, कुमायूँ, रुड़की, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

04 मई, 2016 ई0

संख्या 179/प्रअप्रसं/ई–7/126वाँ आधारभूत/स0अ0/सिं0वि0–प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की के "126वाँ आधारभूत पाठ्यक्रम" में प्रशिक्षणरत सहायक अभियंताओं हेतु संस्थान द्वारा दिनांक 13.01.2016 से दिनांक 16.01.2016 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नामांकन सं0	सहायक अभियंता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	पिता का नाम	गृह जनपद
1	2	3	4	5	6
1.	1914	विजयपाल	22.08.1977	श्री सुन्दर सिंह	टिहरी गढ़वाल
2.	1915	ललित मोहन कुड़ियाल	10.06.1979	श्री मायाराम कुड़ियाल	टिहरी गढ़वाल
3.	1916	अनंत राम उनियाल	01.07.1961	स्व0 रामप्रसाद उनियाल	टिहरी गढ़वाल
4.	1917	चन्द्रशेखर पंत	07.02.1965	स्व0 देवी दत्त पंत	पिथौरागढ़
5.	1918	सुधीर कुमार ममगांई	28.09.1966	श्री आर0 पी0 ममगांई	टिहरी गढ़वाल
6.	1919	हेम चन्द्र उपाध्याय	09.07.1967	श्री मथुरादत्त उपाध्याय	बागेश्वर
7.	1920	विनोद कुमार डंगवाल	08.04.1964	श्री आर0 एस0 डंगवाल	टिहरी गढ़वाल
8.	1921	वीरेन्द्र दत्त जोशी	10.01.1964	स्व0 बालगोविंद प्रसाद जोशी	टिहरी गढ़वाल
9.	1922	अनूप कुमार डयूँडी	21.01.1966	श्री कमलेश्वर प्रसाद डयूँडी	टिहरी गढ़वाल
10.	1923	उत्तम चन्द्र	30.06.1977	श्री नन्दकिशोर सुनाल	नैनीताल
11.	1924	उमेश चन्द्र उप्रेती	01.03.1964	स्व0 जमुनादत्त उप्रेती	पिथौरागढ़
12.	1925	कैलाश चन्द रजवार	08.05.1966	स्व0 भगवान चन्द	पिथौरागढ़
13.	1926	शुकदीप चन्द्र	04.06.1973	श्री आनन्द बल्लभ	अल्मोड़ा
14.	1927	हिमांशु कुमार घिल्डियाल	30.06.1966	स्व0 जी0 एन0 घिल्डियाल	टिहरी गढ़वाल
15.	1928	जयेन्द्र सिंह	02.11.1965	स्व0 फतेह सिंह	उत्तरकाशी
16.	1929	प्रमोद कुमार पाठक	16.16.1967	स्व0 नारायण दत्त पाठक	पिथौरागढ़
17.	1930	खड़क सिंह	07.08.1968	स्व0 रामबहादुर सिंह	ऊधमसिंह नगर
18.	1931	रमेश चन्द्र कोठारी	05.09.1963	स्व0 बच्चीराम कोठारी	रुद्रप्रयाग
19.	1932	राजेश पन्त	04.09.1971	श्री पूरन चन्द्र पन्त	अल्मोड़ा
20.	1933	गिरीराज नौटियाल	09.03.1977	श्री गोपीचन्द नौटियाल	हरिद्वार
21.	1934	शिवराम जगूड़ी	04.03.1969	श्री जगदीश प्रसाद जगूड़ी	उत्तरकाशी
22.	1935	सुभाष चन्द रमोला	17.01.1962	श्री राम चन्द्र रमोला	उत्तरकाशी
23.	1936	अवनीश भटनागर	25.06.1969	श्री राम प्रकाश भटनागर	देहरादून
24.	1937	ऋषि राज चक्रपाणि	03.03.1970	स्व0 आनन्द स्वरूप सक्सेना	ऊधमसिंह नगर
25.	1938	मनोज बिष्ट	18.10.1980	स्व0 रेवत सिंह बिष्ट	टिहरी गढ़वाल

1	2	3	4	5	6
26.	1939	हरि राम भट्ट	23.06.1961	स्व0 गोविन्द राम भट्ट	टिहरी गढ़वाल
27.	1940	अरविंद सिंह नेगी	26.01.1967	स्व0 खुशहाल सिंह नेगी	टिहरी गढ़वाल
28.	1941	चन्द्र किशोर	18.06.1966	श्री मायाराम उनियाल	टिहरी गढ़वाल
29.	1942	जगत नारायण सिंह	04.12.1977	स्व0 सोबन सिंह	ऊधमसिंह नगर
30.	1943	पंकज ढौडियाल	19.05.1978	श्री गोपालदत्त ढौडियाल	नैनीताल
31.	1944	रमेश चन्द्र पांडे	15.06.1964	श्री जनार्दन पांडे	बागेश्वर
32.	1945	राजेश लाम्बा	01.02.1967	स्व0 हरीराम लाम्बा	टिहरी गढ़वाल
33.	1946	राजेश नौटियाल	30.06.1968	श्री गणेश प्रसाद नौटियाल	टिहरी गढ़वाल
34.	1947	कृष्ण सिंह चौहान	10.06.1968	श्री भगवान सिंह चौहान	टिहरी गढ़वाल
35.	1948	राजीव कुमार गोस्वामी	19.03.1964	स्व0 सूरज प्रकाश	टिहरी गढ़वाल

अजय वर्मा,
मुख्य अभियंता।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/280—भाग 1—क—2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1938 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, हरिद्वार

सूचना

30 मई, 2016 ई0

पत्रांक 199/त्रि0पं0नि0–2016–सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 2027/XII(1)/16–66(19)/2015–T.C.–I, दिनांक 26 मई, 2016 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 217/रा0नि0आ0अनु0–2/2015/2016 देहरादून, दिनांक 27.05.2016 द्वारा क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। तद्नुसार मैं, हरबंस सिंह चुघ, जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार में क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:–

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नामांकन–पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
03.06.2016 (पूर्वान्हः 11:00 बजे से अपरान्हः 03:00 बजे तक)	04.06.2016 (पूर्वान्हः 11:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	05.06.2016 (पूर्वान्हः 11:00 बजे से अपरान्हः 03:00 बजे तक)	08.06.2016 (पूर्वान्हः 10:00 बजे से अपरान्हः 03:00 बजे तक)	08.06.2016 (मतदान सभाप्ति के तत्काल बाद)

उक्त निर्वाचन, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा संशोधित) एवं तदधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अनुसार सम्पन्न होंगे। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख पद में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिवत् रूप से नाम–निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि हिन्दी में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस

क्रम में वह नियम–13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हों। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा।

उक्त निर्वाचन में नामांकन दाखिल करने, उनकी जाँच करने, नाम वापसी का कार्य तथा मतदान एवं मतगणना का कार्य, क्षेत्र पंचायत मुख्यालय, सम्बन्धित विकासखण्ड, जनपद हरिद्वार, में सम्पादित किया जायेगा और परिणाम की घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं उप प्रमुखों के पदों हेतु नामांकन पत्रों की बिक्री दिनांक 30.05.2016 से लेकर दिनांक 03.06.2016 तक प्रातः 11:00 बजे से लेकर अपरान्हः 3:00 बजे तक क्षेत्र पंचायत कार्यालय, विकासखण्ड, जनपद हरिद्वार से प्राप्त किये जा सकते हैं।

स्थान –हरिद्वार
दिनांक–30.05.2016

विज्ञप्ति

30 मई, 2016 ई0

संख्या 200/त्रि0पंचा0निर्वा0–2016/2016–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून, अधिसूचना संख्या 217/रा0नि0आ0अनु0–2/2015/2016 देहरादून, दिनांक 27.05.2016 द्वारा जनपद हरिद्वार की समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता दिनांक 27.05.2016 से तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर परिणामों की घोषणा तक प्रभावी कर दी गयी है।

स्थान –हरिद्वार
दिनांक–30.05.2016

हरबंस सिंह चुघ,
जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), हरिद्वार।

विज्ञप्ति

30 मई, 2016 ई0

संख्या 201/त्रि0पंचा0निर्वा0–2016/2016–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून, अधिसूचना संख्या 217/रा0नि0आ0अनु0–2/2015/2016 देहरादून, दिनांक 27.05.2016 के क्रम में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के साथ ही क्षेत्र पंचायतों के समस्त उम्मीदवारों एवं निर्वाचकों हेतु आदर्श आचरण संहिता दिनांक 27.05.2016 से तत्काल प्रभाव से प्रभावी की जाती है, जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

उक्त आदर्श आचरण संहिता समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं प्रमुख/उप प्रमुखों के पद के उम्मीदवारों तथा उनके निर्वाचन के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों/हितों के सम्बन्ध में समस्त पर लागू रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि:–

1. मा0 मंत्रीगण को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अवगत करा दिया जाय कि उक्त कारण से क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ सामूहिक भोज/अभिनन्दन, समारोह/सत्कार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग न लें।
2. उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–ए से धारा 171–आई तक के प्राविधान लागू रहेंगे।

3. उपरोक्त अवधि में क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि, भवन, दुकान, अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि नहीं दिये जा सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों/टेण्डरों की स्वीकृति भी नहीं दी जायेगी।

4. उक्त अवधि में क्षेत्र पंचायतों को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान से सम्बन्धित कोई आदेश न जारी किये जाये।

स्थान –हरिद्वार
दिनांक–30.05.2016

हरबंस सिंह चुघ,
रिटर्निंग ऑफिसर,
पंचायत, जनपद हरिद्वार।

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

अधिसूचना की सूचना

25 मई, 2016 ई0

पत्रांक 80/त्रि0पं0/रिक्त पद/उप निर्वाचन–2016 (मई–जून)–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–201/रा0नि0आ0अनु0–2/2053/2016, दिनांक 24.05.2016 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), चम्पावत एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य, ग्राम पंचायत तथा प्रधान, ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
30.05.2016 एवं 31.05.2016 (पूर्वान्ह् 10:00 बजे से अपरान्ह् 05:00 बजे तक)	01.06.2016 (पूर्वान्ह् 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02.06.2016 (पूर्वान्ह् 10:00 बजे से अपरान्ह् 01:00 बजे तक)	03.06.2016 (पूर्वान्ह् 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	10.06.2016 (पूर्वान्ह् 08:00 बजे से अपरान्ह् 05:00 बजे तक)	13.06.2016 (पूर्वान्ह् 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा और इसे ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

3. उक्त उप निर्वाचन (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) {उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994} एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन–पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

सदस्य, ग्राम पंचायत तथा प्रधान, ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	पद/स्थान का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की संख्या	आरक्षण की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	लोहाघाट	प्रधान	खूनाबोरा	—	अनारक्षित
		सदस्य, ग्राम पंचायत	डुमडाई	04	अनारक्षित
			मझेडा	04	अनारक्षित
			कोट	05	अनु0 जाति, महिला
			मंगाली	07	अनु0 जाति, महिला
2.	चम्पावत		छतकोट	03	अनारक्षित
			पोथ	02	अ0पि0व0, महिला
			पोलप	03	अनु0 जाति, महिला
			खर्ककार्की	06	अनारक्षित
			नायल	01	महिला
			झालाकुडी	03	महिला

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/280–भाग 3–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2016 ई० (ज्येष्ठ 28, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय पालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर

सार्वजनिक सूचना

19 अक्टूबर, 2015 ई0

पत्रांक 462/विज्ञापन–उपविधि/2014–2015–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चमोली–गोपेश्वर सीमा के अन्दर नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 का अनुपालन हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाई गई है:–

उपविधियां

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर की नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि 2015 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर के समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी–

    (I) 'उपविधि' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई है। नगरपालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि 2015 से है;

    (II) 'नगरपालिका' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर से है;

    (III) 'अधिशासी अधिकारी' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 57 के अधीन नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर में नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;

    (IV) 'स्वास्थ्य अधिकारी' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर में शासन द्वारा तैनात नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने के की स्थिति में नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर के उच्च अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है;

(V) 'निरीक्षण अधिकारी' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश के निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है;

(VI) 'नियम' से तात्पर्य भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 648, नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 से है;

(VII) 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(VIII) 'जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable-waste)' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी, फल के छिलके, फूल, पौधों के पत्ते आदि;

(IX) 'जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-Biodegradable-waste)' का तात्पर्य ऐसे कूड़ा-कचरा, सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है;

(X) 'पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable-waste)' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दुबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि;

(XI) 'जैवचिकित्सीय अपशिष्ट (Bionedical-waste)' से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिनका जनन मानवों व पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया-कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है;

(XII) 'संग्रहण (Collection)' से तात्पर्य अपशिष्ट की उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है;

(XIII) 'कचरा खाद बनाने (Composting)' से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है। जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सुक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है;

(XIV) 'ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and Construction waste)' से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री, रोड़ियों और मलवे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(XV) 'व्ययन (Disposal)' से भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

(XVI) 'अपशिष्टों के उत्पादक (Generator of waste)' से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है;

(XVII) 'भूमिभरण (Landfilling)' से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग, पक्षियों का खतरा नाशी जी/कुतक, ग्रीन हाउस, गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है;

(XVIII) 'निक्षालितक (Leachate)' से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुति अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है;

(XIX) 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid waste)' के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किये जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(XX) 'सुविधा के परिचालक (Operator of a Facility)' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथककरण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और

इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है;

(XXI) 'पुनः चक्रण (Recycling)' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;

(XXII) 'पृथक्करण (Segregation)' से नगरीय ठोस अपशिष्टों को वर्गों में अकार्बनिक पुनः चक्रण योग और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग–अलग अभिप्रेत है;

(XXIII) 'भण्डारण (Storage)' से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है, जिसमें कूड़ा–करकट, रोग वाहकों को आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके;

(XXIV) 'परिवहन (Transportation)' से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवार प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखेरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ादान रखेगा जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापना द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका परिषद् के द्वारा निर्धारित समय प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका परिषद् के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक(Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) लिये जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर, निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करेगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा सम्भव ना हो, नगरपालिका से सम्पर्क कर नगरपालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charge) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और 15 दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम 1988 के अनुसार करेगा। बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अनुरूप कोई भी नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, जो मासिक यूजर चार्जेज/सुविधा के निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी। यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में नगरपालिका कोष/सुविधा के प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गई दरों में पंचवर्षीय 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. इस उपविधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् को देय धनराशि नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 8 में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

17. उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने पर प्रथम दोष सिद्धि के लिए ₹ 500.00 तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर ₹ 20.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges) बोर्ड बैठक प्रस्ताव सं0–5(क), दिनांक 27.06.2015 के द्वारा निर्धारित

क्र0सं0	मद का नाम	डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की दरें मासिक
1.	आवासीय भवन (अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवार)	₹ 15.00, प्रतिमाह/प्रति परिवार
2.	आवासीय भवन (ए0पी0एल0 कार्डधारक परिवार)	₹ 30.00, प्रतिमाह/प्रति परिवार
3.	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	₹ 50.00, प्रतिमाह/प्रति प्रतिष्ठान
4.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट/भोजनालय	₹ 200.00, प्रतिमाह/प्रति ढाबा/रेस्टोरेन्ट/भोजनालय
5.	जूस/मीट/फल/सब्जी की दुकान	₹ 200.00, प्रतिमाह/प्रति दुकान
6.	धर्मशाला/गुरूद्वारा एवं अन्य धर्मार्थ स्थलों पर होने वाले आयोजन	₹ 300.00, प्रति आयोजन
7.	निजी/सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य आयोजन	₹ 300.00, प्रति आयोजन
8.	वेडिंग प्वाइन्ट	₹ 1,000.00, प्रति आयोजन
9.	होटल/लॉज	10 कमरे तक ₹ 300.00, प्रतिमाह, 20 कमरे तक ₹ 500.00, प्रतिमाह, 30 कमरे से अधिक ₹ 800.00, प्रतिमाह,

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण व शोभा यात्रा व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में उपरोक्त दरें लागू नहीं होंगी।

व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क संशोधन उपनियम

28 फरवरी, 2015 ई०

सं० 750/5–लाइसेन्स शुल्क 2014–2015–नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर की व्यवसायिक लाइसेन्स सम्बन्धी पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति सं० 1247/5–लाइसेंस शुल्क/98–99/दिनांक 04 मार्च, 1999, जिसका प्रकाशन उ०प्र० गजट भाग–324, अप्रैल, 1999 में प्रकाशित शुल्क की दरों को निरस्त करते हुए नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर की सम्पन्न बोर्ड बैठक दिनांक 29/11/2014 में प्रस्ताव सं०–08 के द्वारा लाइसेंस शुल्क उपविधि की दरों में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। शासन के निर्देशों के अनुसार लाइसेंस शुल्क दरों में वृद्धि की जानी है।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस शुल्क उपनियम की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 के अधीन इसका प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जायेगा। तद्नुसार यह दरें प्रभावी मानी जायेंगीः–

अनुसूची

क्र० सं०	व्यवसाय विवरण	संशोधित दर
1	2	3
1.	(क) होटल खान–पान	₹ 500.00
	(ख) होटल ढाबा	₹ 300.00
2.	रेस्टोरेंट–	
	(क) लॉज 1 से 10 बैड तक	₹ 500.00
	(ख) लॉज 1 से 20 बैड तक	₹ 1,000.00
	(ग) लॉज 1 से 40 बैड तक एवं बरात घर	₹ 2,000.00
3.	मिष्ठान भण्डार–	
	(क) चाय विक्रेता	₹ 200.00
	(ख) चाय, नमकीन आदि विक्रेता	₹ 300.00
	(ग) चाय, मिष्ठान भण्डार विक्रेता	₹ 500.00
4.	राशन विक्रेता–	
	(क) राशन विक्रेता/जनरल स्टोर	₹ 500.00
	(ख) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	₹ 500.00
5.	कपड़ा विक्रेता–	
	(क) क्लॉथ इम्पोरियम	₹ 500.00
	(ख) रेडीमेट जनरल स्टोर	₹ 500.00
	(ग) कपड़ा विक्रेता, बर्तन एवं अन्य सामग्री विक्रेता	₹ 800.00

1	2	3
6.	बर्तन विक्रेता–	₹ 500.00
7.	इलेक्ट्रॉनिक सम्बन्धी विक्रेता–	₹ 500.00
	(क) टी0 वी0, फ्रीज, वासिंग मशीन, गीजर आदि विक्रेता, मरम्मतकर्ता	₹ 1,000.00
	(ख) मोबाइल आदि विक्रेता	₹ 500.00
	(ग) विद्युत सामग्री विक्रेता	₹ 500.00
	(घ) रेडियो, घड़ी विक्रेता/मरम्मतकर्ता	₹ 300.00
8.	कम्प्यूटर–	
	(क) कम्प्यूटर सेंटर	₹ 900.00
	(ख) कम्प्यूटर मरम्मतकर्ता	₹ 900.00
9.	हार्डवेयर–	
	(क) सीमेंट, सरिया विक्रेता	₹ 500.00
	(ख) सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत, पेन्ट विक्रेता	₹ 900.00
10.	ग्रील एवं बक्शा निर्माता/विक्रेता–	₹ 1,000.00
11.	फर्नीचर–	
	(क) फर्नीचर हाउस	₹ 1,000.00
	(ख) शोरूम फर्नीचर हाउस	₹ 1,500.00
12.	शूज विक्रेता–	₹ 500.00
13.	सब्जी–	
	(क) सब्जी विक्रेता	₹ 500.00
	(ख) सब्जी, फल विक्रेता	₹ 800.00
14.	स्वर्णकार–	
	(क) मालिक बिना कारीगर	₹ 900.00
	(ख) मालिक एवं 3 कारीगर सहित	₹ 1,800.00
	(ग) मालिक एवं 5 कारीगर सहित	₹ 2,700.00
15.	टेलर्स–	
	(क) स्वयं टेलर्स	₹ 300.00
	(ख) स्वयं के साथ 3 कर्मी सहित	₹ 400.00
	(ग) स्वयं के साथ 5 कर्मी सहित	₹ 800.00

1	2	3
16.	बारबर—	
	(क) स्वयं बारबर	₹ 300.00
	(ख) स्वयं एवं 2 कर्मी सहित	₹ 500.00
	(ग) स्वयं एवं 3 कर्मी सहित	₹ 800.00
17.	पुस्तक विक्रेता	₹ 300.00
18.	पुस्तक विक्रेता एवं फोटोस्टेट	₹ 400.00
19.	मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक	₹ 500.00
20.	सुअर मीट विक्रेता	₹ 500.00
21.	बकरा एवं मुर्गा मीट विक्रेता	₹ 1,000.00
22.	स्कूटर गैराज व मरम्मतकर्ता	₹ 400.00
23.	मोटर गैराज व मरम्मतकर्ता	₹ 1,000.00
24.	मोटर विक्रेता एवं शोरूम	₹ 5,000.00
25.	स्कूटर विक्रेता एवं शोरूम	₹ 5,000.00
26.	कुकिंग गैस एजेन्सी	₹ 2,500.00
27.	पेट्रोल पम्प एजेन्सी	₹ 3,000.00
28.	बैंक व्यवसाय लाइसेन्स	₹ 3,000.00
29.	अंग्रेजी शराब विक्रेता	₹ 30,0000.00
30.	कबाड़ एकत्रित करने वाले एवं भण्डारण	₹ 500.00
31.	अन्य व्यवसाय	₹ 1,000.00
32.	जूस विक्रेता	₹ 500.00
33.	मोबाइल टावर	₹ 3,000.00
34.	केबिल नेटवर्क सेन्टर	₹ 5,000.00
35.	ट्यूशन/प्रशिक्षण सेन्टर	₹ 900.00
36.	पान बीड़ी आदि विक्रेता	₹ 200.00
37.	छोटे दुकान (परचून)	₹ 300.00
38.	आटा चक्की	₹ 300.00
39.	फोटोग्राफर	₹ 500.00
40.	ब्यूटी पार्लर/श्रृंगार सामान सहित	₹ 800.00
41.	ऊन/हौजरी विक्रेता	₹ 600.00
42.	टायर पंचर	₹ 200.00
43.	टेन्ट हाउस	₹ 1,000.00

सार्वजनिक सूचना

19 अक्टूबर, 2015 ई0

पत्रांक 461/विज्ञापन–उपविधि/2014–2015–नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा–2, खण्ड–(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग्स को नियन्त्रित करने एवं शुल्क वसूली के उद्देश्य से "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2015" बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2013

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2015" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ–

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:–

(क) "नगर पालिका परिषद्" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर से हैं;

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर सीमाओं से हैं;

(ग) "अधिशासी अधिकारी्" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर से हैं;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर के अध्यक्ष/प्रशासक से है;

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है;

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से है;

(छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पर, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री से हैं।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगे। छोटे यूनिपोल पैंडिट सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी 5×3 फीट एवं सड़क से 8 फुट ऊँचाई पर होंगे। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 30 फिट की दूरी होगी।

4. यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना को न होने देने के उद्देश्य से जहां आवश्यकता होगी वहां से इन यूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं।

5. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साईज 20×10 फीट होगा।

6. होर्डिंग/यूनिपोल सड़क की पेंटिंग सर्फेस से न्यूनतम 2.5 मीटर दूरी पर लगाये जायें।

7. होर्डिंग/यूनिपोल संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिये, जिससे आंधी आदि में न गिरे। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इन्जीनियर से रिपोर्ट, आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8. चौराहों व मोड़ों पर 25–25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

9. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनीक कोड नम्बर तय किया जायेगा, जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार–प्रकार, होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।

10. नगर पालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जायेगा।

11. नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि ₹ 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ रु0) पालिका कोष में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 2,000.00 (दो हजार) की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगरपालिका कोष में जमा करायेगा।

12. नगरपालिका सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों/पोल क्योस्क का न्यूनतम शुल्क प्रति वर्ग फिट की दर से आगणित किया जायेगा। शुल्क निम्नानुसार होगा। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अथवा निम्न शुल्क को न्यूनतम मानते हुए होर्डिंग की सार्वजनिक नीलामी करायी जायेगः–

अनुसूची

क्र0 सं0	विवरण	दर (₹ में)	यूनिट
1	2	3	4
1.	मुख्य मार्ग (एन0एच0/प्रान्तीय मार्गों) के किनारे स्थित विज्ञापन/होर्डिंग्स (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हों)	10.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
2.	नगरपालिका के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि	8.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
3.	इन्डीकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3×2 फीट) पोल क्योक्स 2 (3×2 फीट)	7.00	प्रति पोल/प्रतिवर्ष प्रति पोल/प्रतिवर्ष
4.	दुकानों/भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड/वाल पेंटिंग	5.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
5.	दुकानों/भवनों पर लगे साइन बोर्ड	7.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष

1	2	3	4
6.	फ्लाई ओवर कॉलम (10×20 फीट)	50.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
7.	पुल/पुल के कॉलम पर (10×20 फीट)	50.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
8.	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8×15 फीट)	10.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
9.	निजी बस/पब्लिक बस एडवरटाईजिंग 4×15 फीट (दोनों साईड) बैक साइड 3×3 फीट	5.00	प्रति प्रति इंच/प्रतिवर्ष
10.	डिलवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	5.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
11.	डिमोस्टेशन वाहन	8.00	प्रतिदिन
12.	बिल्डिंग रैंप 80×20 फीट	8.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
13.	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3×5 फीट	20.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
14.	ट्रैफिक बैरीकैटिंग	20.00	प्रति बैरीकैटिंग
15.	ट्रैफिक पोस्ट के ऊपर कियोस्क 2×3 फीट	20.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
16.	सार्वजनिक शौचालय दो साईड वाल 8×10 फीट	10.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
17.	रोड डिवाईडर पर यूनिपोल गैन्ट्री 40×8 फीट	100.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
18.	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए	50.00	प्रतिदिन
19.	इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी	1,000.00/ 500.00	प्रतिदिन
20.	स्थानीय केबल नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क	12,000.00	वार्षिक
21.	बस शैल्टर 26×5 फीट	10.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
22.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 3×2 फीट	10.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
23.	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	100.00	प्रति बैलून/प्रतिवर्ष

प्रतिबन्ध यह है कि समय–समय पर पड़ने वाले मेला में विज्ञापन शुल्क दुगुना लिया जायेगा।

13. निम्नलिखित क्षेत्रों को विज्ञापन की दृष्टि से विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा:–

1. नदी के किनारे स्थित समस्त घाट।
2. धार्मिक स्थल।
3. नगरपालिका कार्यालय के आसपास।

14. नगरपालिका सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भाँति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी, का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखें होंगे, वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेंगे। इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5×3 फीट का होगा।

17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

18. निजी भवनों की छतों पर विज्ञापन पट्ट पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

19. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहे में जहां कि समय–समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल–बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।

20. पोल कियोस्क का साईज 2×3 फीट होगा।

21. सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे–शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

22. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त के लिए कर निरीक्षक, नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर स्वीकृत होर्डिंग का सत्यापन नियमित रूप से प्रतिमाह करेंगे।

23. विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम एक वर्ष के लिए दी जायेगी।

24. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

25. यूनियन रोड कॉंग्रेस द्वारा रोड शाइन (आई0आर0सी0) 67–2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फॉन्ट साईज ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे।

26. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। निविदाएं मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित समिति के द्वारा मांगी जायेंगी तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

27. रोड पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से ₹ 5,000 जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।

28. जनहित में नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेंगे, उन पर स्लोगन प्रदर्शित किये जायेंगे तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स/यूनीपोल में उनकी आवश्यकतानुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

29. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए, एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 1,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 250.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, चमोली–गोपेश्वर में अन्तिम रूप में निहित होगा।

एस0 पी0 भट्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
चमोली–गोपेश्वर।

संदीप सिंह रावत,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
चमोली–गोपेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/280–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।